न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–XXVI, पटना

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2320/2026
(संबंधित जक्कनपुर थाना कांड संख्या–455/2026)

मुकेश कुमार, पिता–नागेश्वर प्रसाद

.... आवेदक

बनाम्

बिहार राज्य

Date	Order with signature	Office notes as to action taken
18/06/2026	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। सूचक कमलेश कुमार एवं पीड़िता ललिता कुमारी उपस्थित। सूचक एवं पीड़िता की ओर से विद्वान अधिवक्ता वकालतनामा दाखिल कर उपस्थित हुए। सूचिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटस दाखिल की गई। उभयपक्ष को सुनवाई की अगली तिथि को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उभयपक्ष मामले को मध्यस्थता केन्द्र में भेजे जाने हेतु सहमत हैं। उभयपक्ष मध्यस्थता केन्द्र में इस मामले को भेजने हेतु प्रपत्र दाखिल करें। कार्यालय प्रपत्र दाखिल होने के पश्चात् वाद को मध्यस्थता केन्द्र में भेजें। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर एवं उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक के विरूद्ध अगली निर्धारित तिथि तक **दण्डात्मक/कठोर (Coercive)** कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है। अभिलेख दिनांक 02.07.2026 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित Sd/- अपर सत्र न्यायाधीश–XXVI, पटना	